अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

जिला हनुमानगढ

सुचित्रा चौधरी बनाम मंगतुराम आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट | प्रकरण संख्या 74 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
04.05.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । वकील प्रार्थी को इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण, आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा खरसण्डी तहसील नोहर के खाता स0 85/77 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 13.2640 है0 भूमि प्रार्थीगण के हक हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करें। उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थीगण रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 13/06/2023 को पेश हो । सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)	
19/5/23	पत्रावली प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेश की गई। प्रार्थिया स्वयं उपस्थित। प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त बाबत प्रार्थना-पत्र में राजीनामा हो चुका है। प्रार्थिया उक्त प्रकरण में कोई [illegible] कार्यवाही नहीं करना चाहती है [illegible] को खारिज [illegible] प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नतीजा से दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)	सुचित्रा चौधरी पहचानकर्ता सुनील कटारिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:20:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner